संख्या-2107/ III(2)/08-150(सा0)/2007

प्रेषक

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 2 जुलाई, 2008

विषयः- राज्य में विभिन्न शासकीय विभागों से संबंधित कार्यों के शिलान्यास एवं उद्धाटन/लोकार्पण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश सं0-243/XXXi(13)/G/08-39(2)/2008 दिनांक 19 जून,2008 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में लोक निर्माण विभाग से संबधित कार्यों के उदघाटन/ लोकापर्ण एवं शिलान्यास के संबंध में संलग्न शासनादेश के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। कृपया इस संबंध में अपने अधीनस्थ समस्त खण्डीय अधिकारियों को भी तत्काल अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोक्त ।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या-2107/ III(2)/08 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य अभियन्ता स्तर-2, लो0 नि0वि0,अल्मोड़ा/पौड़ी ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ... वां वृत्त,लो0नि0वि0, ... उत्तराखण्ड ।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

प्रतिलिपि - संग्रह स अ को उपरांतानुसार सूचनार्थ एवं कार्यवाई,

upload करें

24.12.18

(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

संख्याः 243/xxxi(13)/G/08-39(2)/2008

प्रेषक,

एस0के0दास,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून, दिनांकः 19 जून, 2008

विषयः– राज्य में विभिन्न शासकीय विभागों से सम्बन्धित कार्यों के शिलान्यास एवं उदघाटन/लोकार्पण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य में लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित कार्यों के उदघाटन/लोकार्पण एवं शिलान्यास हेतु निर्धारित किये गये निम्न दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करते हुये इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थों को भी आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें:–

अ)– जिला योजना :–

1. जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का शिलान्यास/लोकार्पण अथवा उदघाटन सम्बन्धित जनपद के प्रभारी मंत्री जी द्वारा कराया जाय तथा प्रभारी मंत्री जी की अनुपस्थिति में उक्त जनपद के प्रदेश सरकार के किसी भी मा0 मंत्री से कराया जाय।
2. जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के शिलान्यास/लोकार्पण अथवा उदघाटन के अवसर पर स्थानीय मा0 विधानसभा सदस्य विशेष आमंत्री रहेंगे।

ब)– राज्य योजना :–

1. राज्य योजना के अन्तर्गत निर्मित रुपये 05.00 करोड़ तक की लागत के विभागीय कार्यों का शिलान्यास/लोकार्पण अथवा उदघाटन सम्बन्धित मा0 विभागीय मंत्री के स्तर से कराया जाय।
2. रुपये 05.00 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का शिलान्यास/लोकार्पण अथवा उदघाटन मा0 मुख्य मंत्री के स्तर से एवं उनकी अनुपलब्धता की दशा में मा0 विभागीय मंत्री के स्तर से एवं मा0 विभागीय मंत्री की अनुपलब्धता की दशा में जनपद के प्रभारी मंत्री जी के द्वारा कराया जाय। यदि जनपद के प्रभारी मंत्री जी भी उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में योजना का शिलान्यास/लोकार्पण अथवा उदघाटन सम्बन्धित जनपद के किसी भी मा0 मंत्री जिनको सम्बन्धित योजना के मा0 विभागीय मंत्री अधिकृत करते हैं, के द्वारा किया जाएगा।

3. प्रस्तर–2 में उल्लिखित सभी अवसरों पर सम्बन्धित मा0 विधायक विशेष आमंत्री के रूप में रहेंगे।
4. मा0 मुख्य मंत्री के नियंत्रणाधीन विभागों में मुख्य अतिथि के निर्धारण के सम्बन्ध में मा0 मंत्री को नामित किये जाने का विवेकाधिकार मा0 मुख्य मंत्री में निहित रहेगा और इन परियोजनाओं का शिलान्यास/लोकार्पण अथवा उद्घाटन के अवसर पर स्थानीय मा0 विधायक विशेष आमंत्री के रूप में रहेंगे।

स)– <u>केन्द्र योजना :–</u>

1. केन्द्र योजना के अन्तर्गत निर्मित रूपये 05.00 करोड़ तक की लागत के विभागीय कार्यो का शिलान्यास/लोकार्पण अथवा उद्घाटन सम्बन्धित मा0 विभागीय मंत्री के स्तर से कराया जाय।
2. रूपये 05.00 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का शिलान्यास/लोकार्पण अथवा उद्घाटन मा0 मुख्य मंत्री के स्तर से एवं उनकी अनुपलब्धता की दशा में मा0 विभागीय मंत्री के स्तर से एवं मा0 विभागीय मंत्री की अनुपलब्धता की दशा में जनपद के प्रभारी मंत्री जी के द्वारा कराया जाय। यदि जनपद के प्रभारी मंत्री जी भी उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में योजना का शिलान्यास/लोकार्पण अथवा उद्घाटन सम्बन्धित जनपद के किसी भी मा0 मंत्री जिनको सम्बन्धित योजना के मा0 विभागीय मंत्री अधिकृत करते हैं, के द्वारा किया जाएगा।
3. प्रस्तर–2 में उल्लिखित सभी अवसरों पर सम्बन्धित मा0 सांसद/मा0 विधान सभा सदस्य विशेष आमंत्री के रूप में रहेंगे।
4. मा0 मुख्य मंत्री के नियंत्रणाधीन विभागों में मुख्य अतिथि के निर्धारण के सम्बन्ध में मा0 मंत्री को नामित किये जाने का विवेकाधिकार मा0 मुख्य मंत्री में निहित रहेगा और इन परियोजनाओं का शिलान्यास/लोकार्पण अथवा उद्घाटन के अवसर पर स्थानीय मा0 सांसद/मा0 विधान सभा सदस्य विशेष आमंत्री के रूप में रहेंगे।

भवदीय,